

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रशिक्षण विद्या परिषद,
प्रकाश इंदौर जलनगर।**

संख्या- प्राशिन/परिषद सम्प्रदाय/2020/1871

तारीख: दिनांक: 18-8-2020

-कार्यालय आदेश-

अतिरिक्त राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय कार्यालय अतिरिक्त इन्फोर्मा, नई दिल्ली द्वारा दृष्टिकोण सत्र 2020-21 हेतु विदेशी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्रशिक्षण विद्या परिषद, प्रकाश जलनगर से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्रशिक्षण विद्या परिषद, प्रकाश जलनगर की अध्यक्षता में परिषद कार्यसत्र में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अतिरिक्त नई संस्थानों को सम्प्रदाय/पूर्व से संयोजित संस्थानों को सम्प्रदाय विचार/पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा इच्छा सहित प्रदान करने का निर्णय करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्प्रदाय समिति की बैठक को 18-08-20 में निर्णय इन इच्छित पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्प्रदाय संस्थानों का प्रकाशन रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा प्रदान विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

"सिटी रोड में स्थित विदेशी इन इच्छित पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली विदेशी तकनीकी शिक्षण संस्थानों, जो प्रशिक्षण विद्या परिषद, प्रकाश जलनगर से पूर्व से सम्प्रदाय हैं, में एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विचार प्रदान किया गया है। इन संस्थानों में एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा प्रदान किये जाने अनुमोदन विचारों के अनुसार बनने वाले सत्र के सम्पूर्ण अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचारों के अनुक्रम में परिषद को सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्प्रदाय समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्रशिक्षण विद्या परिषद, प्रकाश जलनगर द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों में अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रदान अतिरिक्त प्रवेश कक्षा हेतु सम्प्रदाय विचार प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का पता | पाठ्यक्रम का नाम | एम्पाईनमेंट/टीचर्स / द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश कक्षा |
|----------|---------------|--|--|--|---|
| 1 | एनके | राजस्थान इन्फोटेक अतिरिक्त इन्फोटेक एनके इन्फोटेक, 24 फाजल, विजयपुरा पश्चिमवारा। | डिप्लोमा इन्फोटेक इन्फोटेक इन्फोटेक इन्फोटेक | 43 | 43 |
| | | | | 45 | 45 |
| | | | | 88 | 88 |

सम्प्रदाय हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम्पाईनमेंट/टीचर्स/पैदाइयाई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था प्रकाश इंदौर प्रशिक्षण विद्या परिषद द्वारा प्रकाश जलनगर प्रशिक्षण विद्या परिषद विनियमवली सत्र 2019-20 के अन्तर्गत अन्य विहित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा सत्र 2020-21 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचारों के अनुसार बनने वाले सत्र के सम्पूर्ण अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचारों के अनुक्रम में परिषद को सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
- ✓ संस्था की प्रकाश जलनगर प्रशिक्षण विद्या परिषद, प्रकाश जलनगर से पूर्व से सम्प्रदाय हैं, में एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचारों के अनुसार बनने वाले सत्र के सम्पूर्ण अतिरिक्त पाठ्यक्रम/प्रवेश कक्षा को साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्पाईनमेंट/टीचर्स द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विचारों के अनुक्रम में परिषद को सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय,

उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- कार्यालय/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मठों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु मिश्रकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1546-SARASWATI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, 24 PAWLA, PILAKHUWA, GHAZIABAD

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------|---|---|
| 1 | CIVIL ENGINEERING | 45 | 45 |
| 2 | ELECTRONICS ENGINEERING | 45 | 45 |
| 3 | MECHANICAL ENGINEERING | 90 | 90 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्थ ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायिक उत्तर/उत्तर से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। परीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु परीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीस की नवीनतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अग्रणी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अविनियमनों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०,